कार्यकारी सारांश

i) परियोजना जिसके लिए एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है, के लिए अस्थाई क्षति हेतु प्रतिपूर्ति योजना (सी पी टी डी) तैयार की गई है। परियोजना को उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होंगे। एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) सुरक्षोपाय श्रेणीकरण प्रणाली के अनुसार बिना इच्छा के पुनर्स्थापना (आई आर) को श्रेणी "ख'' और स्वदेशी लोगों को श्रेणी "ग" के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। सीपीटीडी पावर ग्रिड की पर्यावरणीय और सामाजिक नीति एवं प्रक्रियाओं, 2009 (ई एस पी पी) और एडीबी सुरक्षोपाय नीति विवरण 2009 (एस पी एस) के अंतर्गत देश की सुरक्षोपाय प्रणाली (सी एस एस) के इस्तेमाल के लिए विकसित किए गए सुरक्षोपायों की कार्य योजना पर आधारित है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी (ई ए) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पी जी सी आई एल) है, जो परियोजना के लिए कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा। सीपीटीडी के लिए विद्युत अधिनियम, 2003, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, ईएसपीपी और सुरक्षोपायों के लिए कार्य योजना से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है।

ii) परियोजना के घटकों में नए सब-स्टेशन का निर्माण कार्य / खाड़ी के विस्तार (02) का कार्य शामिल होगा। खाड़ी के विस्तार का कार्य मौजूदा सब-स्टेशन के भीतर किया जाएगा और यह भूमि पावर ग्रिड (बीकानेर सब-स्टेशन में) की है। 765/400 केवी क्षमता वाले बीकानेर (पी जी) सब-स्टेशन की स्थापना पहले से ही हरित ऊर्जा कोरिडोर भाग-घ योजना के अंतर्गत पहले से ही की जा रही है। हरित ऊर्जा कोरिडोर भाग-घ परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। भाडला में सरकारी भूमि पर एक नए सब-स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव है, जो संबंधित सरकारी विभागों से हस्तांतरित की जाएगी। सरकारी भूमि पर निर्माण के लिए अपेक्षित सतर्कता बरती गई और इस बात की पुष्टि की जाती है कि भूमि सरकार के स्वामित्व में है। भूमि पर किसी भी प्रकार के दावे / विवाद लंबित नहीं है और वर्तमान में यह खाली है तथा अतिक्रमणकर्ताओं और अवांछनीय लोगों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। सीपीटीडी आरंभिक मार्ग सर्वेक्षण / जांच के आधार पर तैयार की गई है। फसलों की क्षति के संदर्भ में जो प्रभाव पड़ा है वह प्राकृतिक रूप से अस्थाई है। इसके अलावा, पेड़ों की क्षति का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। कार्यान्वयन और निर्माण के दौरान अस्थाई प्रभावों का पूर्वानुमान लगाया गया है। अत: सीपीटीडी अभी मसौदा के रूप में बनी हुई है क्योंकि अभी तक अंतिम सर्वेक्षण नहीं किया गया है और वास्तविक रूप से अस्थाई प्रभावों की जानकारी केवल इसके कार्यान्वयन के दौरान ही प्राप्त हो पाएगी, जो निर्माण संविदाकार द्वारा कार्यान्वयन शुरू कर देने पर विस्तृत डिजाइन और अंतिम सर्वेक्षण पर आधारित होगी। पावर ग्रिड वास्तविक रूप से हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जो प्रकृति की दृष्टि से अस्थाई और क्षणिक होते हैं। टावर की वास्तविक स्थिति (स्थल) की जानकारी केवल विस्तृत सर्वेक्षण / जांच सर्वेक्षण के बाद ही प्राप्त होती है। जांच सर्वेक्षण पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान उत्तरोत्तर ढंग से किया जाता है। सामान्यतया निर्माण कार्य ऑफ सीजन में किया जाता है, जब खेतों में कोई फसल खड़ी नहीं होती। क्षति के लिए वास्तविक क्षतिपूर्ति का आकलन पारेषण लाइन के निर्माण संबंधी कार्यकलापों के बाद तीन चरणों अर्थात नींव और आधार, टावर उन्निर्माण और कंडक्टर स्ट्रिंजिंग का कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है। यदि उपर्युकत तीनों कार्यकलापों के दौरान अलग-अलग क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति का भुगतान भी तीन बार अलग-अलग किया जाता है। प्रत्येक चरण पर क्षति का आकलन और क्षतिपूर्ति का भुगतान एक लगातार एवं क्रमबद्ध ढंग से की जाने वाली गतिविधि है। पारेषण

लाइन के निर्माण के दौरान सीपीटीडी को अद्यतन करना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए पावर ग्रिड द्वारा अद्यतन की गई अर्ध वार्षिक सीपीटीडी निगरानी रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) को प्रस्तुत की जाएगी। यह निगरानी रिपोर्ट पावर ग्रिड की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

iii) एडीबी द्वारा वित्त पोषण के अधीन भाडला, राजस्थान में 16 पावर पार्कों के लिए पारेषण प्रणाली में निहित परियोजना घटकों में निम्नलिखित सब-स्टेशन और पारेषण लाइनें शामिल होंगी, जो राजस्थान राज्य से होकर गुजरेंगी;

पारेषण लाइनें :

- 162.466 किमी लंबी 765 केवी डी/सी भाडला (पी जी) - बीकानेर (पी जी) पारेषण लाइन (67 मीटर चौड़े मार्गाधिकार और अनुमानत: 421 टावर वाली)
- 23.148 किमी लंबी 400 केवी डी/सी (क्वाड) भाडला (पी जी) - भाडला (आर वी पी एन) पारेषण लाइन (46 मीटर चौड़े मार्गाधिकार और अनुमानत: 70 टावर वाली)

सब-स्टेशन

- 765 / 400 / 200 केवी भाडला (पी जी)
- 765 / 400 केवी बीकानेर (पी जी) सब-स्टेशन विस्तार

iv) पारेषण लाइन में भूमि का कोई हस्तांतरण / अधिग्रहण शामिल नहीं है और इस परियोजना में वास्तविक रूप से किसी प्रकार के विस्थापन का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है।[1] फसलों और पेड़ों की क्षति के संदर्भ में प्रभाव अस्थायी प्रकृति के हैं। प्रमुख संविदाओं के क्रियान्वयन के दौरान किए जाने वाले विस्तृत सर्वेक्षण के लिए अध्ययन किए गए कम से कम 3 वैकल्पिक संरेखणों में से सबसे व्यवहार्य संरेखण पद्धति के चयन के लिए अनुमान लगाने / निश्चय करने हेतु पारेषण लाइन के संबंध में आरंभिक जांच / सर्वेक्षण किया गया है। फसलों की अस्थायी क्षति के लिए अनुमान में केवल कृषि भूमि और निजी वृक्षारोपण की भूमि पर विचार किया जाता है। यद्यपि 765 केवी लाइनों के लिए मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) 67 मीटर और 400 केवी लाइनों के लिए 46 मीटर होता है, परंतु औसत प्रभावित चौड़ाई / कोरिडोर 40 मीटर (अधिकतम) तक ही सीमित होगा। सीपीटीडी में सभी पूर्वानुमान आरंभिक सर्वेक्षण के आधार पर लगाए गए हैं। फसलों और अन्य क्षति के लिए वास्तविक प्रभावित क्षेत्र कृषि भूमि और निजी वृक्षारोपण के कोरिडोर में में अधिकतम 40 मीटर की चौड़ाई तक प्रतिबंधित होगा, जो कि टावर की नींव से सटी हुई 98.2 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 692.168 हेक्टेयर होती है, जिस पर 491 टावर लगाने के कारण फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुमान लगाया गया है। अत: फसलों की क्षति के संदर्भ में अस्थाई क्षति के लिए आवश्यक कुल भूमि का अनुमान 692.168 हेक्टेयर के रूप में लगाया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 3648 है, जिसमें से 3263 निजी वृक्ष और 385 सरकारी वृक्ष हैं। निजी वृक्षों के लिए पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार नकद रूप में क्षतिपूर्ति की जाएगी। प्रभावति होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का पूर्वानुमान 739 व्यक्ति के रूप में लगाया गया।

[1] भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित वर्तमान प्रावधान के अनुसार टावर और पारेषण लाइन के निर्माण और स्थापना के समय किसी व्यक्ति को होने वाली सभी प्रकार क्षति (उपर्युक्त भूमि के अधिग्रहण के बिना) की प्रतिपूर्ति की जाती है।

v) परियोजना की सामाजिक और पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया के एक अभिन्न भाग के रूप में जन भागीदारी और सामुदायिक परामर्श शुरू किए गए हैं। जनता को परियोजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण पर सूचना दी जाती है। यहां तक कि सर्वेक्षण के दौरान भी पावर ग्रिड के साइट कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी लोगों से मिलते हैं और पारेषण लाइनों के मार्ग के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। निर्माण के दौरान ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी भूमि पर टावर का उन्निर्माण किया जाता है और मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) से प्रभावित लोगों के साथ परामर्श किया जाता है। इसके अलावा, पारेषण लाइनों के पूरे मार्गों के आरंभिक सर्वेक्षण / जांच के दौरान जून, 2016 में 5 बार सार्वजनिक परामर्श और अनौपचारिक सामूहिक बैठकें की गईं। निर्माण के दौरान प्रभावित लोगों (ए पी) को एक नोटिस जारी किया जाता है और क्षति का आकलन करने के लिए प्रभावित व्यक्ति के साथ पावर ग्रिड द्वारा एक संयुक्त मापन किया जाता है। संभावित प्रभावित व्यक्ति (ए पी) द्वारा निर्माण के दौरान फसल को होने वाली क्षति, यदि कोई है आदि के लिए बाजार दर और समय पर क्षतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया गया। उनके प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक ढंग से दिया गया और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति का निर्धारण किए जाने / राशि आवंटित होने के बाद क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर किया जाएगा। परामर्श की इस प्रक्रिया को परियोजना के कार्यान्वयन और यहां तक कि प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण पर भी जारी रखा जाए। पावर ग्रिड द्वारा सीपीटीडी का मसौदा / सारांश प्रभावित परिवारों और अन्य पणधारकों के साथ साझा किया जाएगा। सामान्यतया इस नीति के बारे में लोगों की टिप्पणी और समीक्षा का पता लगाने और विशेष रूप से बाधाओं को दूर करने के उपायों की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए इसे पावर ग्रिड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। पावर ग्रिड के साइट कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी निर्माण के दौरान प्राय: निर्माण साइटों का दौरा करते हैं और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की शर्तों और प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। निर्माण के दौरान टावर के स्थान के बारे में अंतिम निर्णय लेने और विस्तृत / जांच सर्वेक्षण के पश्चात प्रभावित लोगों (ए पी) को एक नोटिस जारी किया जाता है। प्रभावित लोग क्षतिपूर्ति की शर्तों और नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पावर ग्रिड के साइट / निर्माण कार्यालयों का भी दौरा कर सकते हैं और अपनी शिकायतों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। सीपीटीडी का कार्यकारी सारांश और पात्रता मैट्रिक्स पावर ग्रिड के निर्माण कार्यालयों के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे।

vi) शिकायत निवारण क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है क्योंकि नोटिस जारी करने के पश्चात राजस्व विभाग के अधिकारी साइट की वास्तविक स्थिति और भू-स्वामी की श्रेणी (वर्जन) के आधार पर क्षति का आकलन करते हैं। आरंभिक मूल्यांकन के पश्चात भू-स्वामी को एक मौका दिया जाता है कि यदि वह किए गए मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है, तो अपने दावे को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसके अलावा, पावर ग्रिड के अधिकारी भी प्रभावित किसानों की शिकायतों का निराकरण करते हैं और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है। पावर ग्रिड शिकायत निवारण तंत्र (जी आर एम) के लिए रिकार्डिंग / ट्रैकिंग प्रणालियों का विकास, सुधार और रखरखाव करेगा। प्रस्तावित तंत्र स्थापित करने का यह आशय कदापि नहीं है कि प्रभावित लोग देश की न्यायिक अथवा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रयास नहीं कर सकते हैं।

vii) सीपीटीडी ईएसपीपी और सुरक्षोपायों के लिए कार्य योजना के साथ-साथ ऋणकर्ताओं के घरेलू नीतिगत लिखतों और कानूनों पर आधारित हैं। एक पारेषण परियोजना होने के नाते इस परियोजना

के लिए लागू संगत राष्ट्रीय कानूनों में (i) विद्युत अधिनियम, 2003 और (ii) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 शामिल हैं। परियोजना के लिए क्षतिपूर्ति हेतु अपनाए गए सिद्धांतों के तहत भारत सरकार के यथालागू कानूनों और विनियमों, ईएसपीपी और सुरक्षोपायों के लिए कार्ययोजना का अनुपालन किया जाएगा।

viii) प्रभावित लोगों नीचे दी गई तालिका ई-1 में उल्लिखित पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार फसलों / पेड़ों / संरचनाओं आदि को अस्थाई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे। पारेषण लाइनों के निर्माण के दौरान अस्थाई क्षति होगी, जिसके लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान संगत नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाता है। सभी प्रभावित लोगों को वास्तविक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है चाहे वे किसी भी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के क्यों न हों और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। अतिरिक्त सहायता के रूप में निर्माण संविदाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवश्यक कौशल रखने वाले स्थानीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान करे। राज्य प्राधिकारी की सिफारिश पर सुभेद्य परिवारों को एकमुश्त सहायता दी जाएगी। पावर ग्रिड पात्रता मैट्रिक्स में किए गए उल्लेख के अनुसार अधिकार धारण न करने वाले लोगों सहित सभी प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति करेगा। पात्रता मैट्रिक्स के प्रावधान नीचे तालिका ई-1 में दिए गए हैं :

तालिका ई-1 : पात्रता मैट्रिक्स

क्रम सं.	मुद्दा / प्रभाव का प्रकार	लाभार्थी	पात्रता विकल्प
1	फसलों और पेड़ों की क्षति	अधिकारधारक	फसलों के लिए बाजार दर पर और फलदायी वृक्षों के लिए 8 वर्ष की आय के लिए क्षतिपूर्ति। प्रभावित लोगों को अपनी फसलों की कटाई के लिए अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। लकड़ी वृक्ष के स्वामियों द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
2	फसलों और पेड़ों की क्षति	किराएदार / शेयर क्रॉपर / पट्टाधारक[2]	फसलों के लिए बाजार दर पर और फलदायी वृक्षों के लिए 8 वर्ष की आय के लिए क्षतिपूर्ति केवल कृषक को ही की जाएगी[3]। प्रभावित लोगों को अपनी फसलों की कटाई के लिए अग्रिम नोटिस दिया जाएगा।
3	अन्य क्षति (यदि लागू है)	सभी प्रभावित लोग (ए पी)[4]	संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार प्रतिस्थापन लागत
4	संरचना की क्षति		
	(क) मकान		
(i)	मकान की क्षति / उसे हटाया जाना	अधिकारधारक / अधिकार धारण न करने वाले	प्रतिस्थापन लागत (क्षति के बाद एकत्र की गई सामग्री के लिए कटौती के बिना) और मकान के निर्माण के लिए 25000 रूपए की सहायता (कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था हेतु

[2] इसमें अधिकार न रखने वाले प्रभावित लोगों (एपी) को भी शामिल किया जा सकता है।

[3] पावर ग्रिड प्रभावित लोगों किराएदार/ शेयरक्रॉपर / पट्टाधारक को यह स्पष्ट करेगा कि क्षतिपूर्ति कृषक को की जाएगी और उसे आपस में साझा करने की व्यवस्थाओं का निर्धारण उनके बीच स्वयं ही किया जाएगा।

[4] अधिकारधारक और अधिकार धारण न करने वाले।

			भारत सरकार की मौजूदा शर्तों के आधार पर) और नीचे दी गई श्रेणी - 5 के अनुसार संधिकालिक लाभ के साथ नकद क्षतिपूर्ति
	(ख) दुकान / संस्थान		
(i)	मकान की क्षति / उसे हटाया जाना	अधिकारधारक / अधिकार धारण न करने वाले	कार्यकारी शेड / दुकान के निर्माण के लिए 10000 रूपए और 1 वर्ष की आय के समतुल्य पुनर्वास सहायता और नीचे दी गई श्रेणी - 5 के अनुसार संधिकालिक लाभ के साथ नकद क्षतिपूर्ति
5	विस्थापित लोगों / स्थापनाओं के संधिकाल / स्थानांतरण / परिवहन के दौरान क्षति	परिवार / यूनिट	मौजूदा स्थान से वैकल्पिक स्थान तक सामग्री / जानवरों को लाने के लिए परिवहन का प्रावधान अथवा उसके समतुल्य नकद राशि
6	सुभेद्य प्रभावित लोगों (ए पी) पर प्रभाव	सुभेद्य प्रभावित लोगों (ए पी)[5]	राज्य प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर सुभेद्य परिवारों को एकबारगी एकमुश्त सहायता। इसका भुगतान अन्य सहायता के अतिरिक्त किया जाएगा। सुभेद्य प्रभावित लोगों को सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत वरीयता दी जाए।
7	टावर आधार के नीचे वाला भूक्षेत्र	भू-स्वामी	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथानिर्धारित भू लागत का 85%(#)
8	मार्गाधिकार की चौड़ाई वाले कोरिडोर में आने वाला भूक्षेत्र	भू-स्वामी	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथानिर्धारित भू लागत का 15%(#)

टिप्पणी: *(#) विद्युत मंत्रालय (एम ओ पी) ने मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) के संबंध में क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु दिनांक 15.10.2015 को दिशानिर्देश जारी किए। इनका क्रियान्वयन राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के अध्यधीन है।*

ix) प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार के वास्तविक विस्थापन की परिकल्पना नहीं की गई है। पारेषण लाइन के मार्ग के लिए लचीली नीति अपनाए जाने के कारण पारेषण लाइन के निर्माण में बड़े नुकसान की परिकल्पना नहीं की गई है। पारेषण लाइन का निर्माण कार्य मुख्य रूप से उस अवधि में किया जाता है जब खेतों पर फसलें खड़ी नहीं रहती हैं ताकि फसलों के नुकसान को घटाया जा सके। पारेषण लाइन से जुड़ी परियोजनाओं में सामान्यतया संरचनाओं के विस्थापन की परिकल्पना नहीं की जाती है। तथापि, जब कभी ऐसा करना आवश्यक होता है, सीपीटीडी की पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार संरचनाओं की क्षतिपूर्ति की जाएगी। प्रभावित लोगों को क्षति के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है और पावर ग्रिड तथा प्रभावित लोगों द्वारा संयुक्त रूप से इसका मापन किया जाता है तथा वास्तविक क्षति का निर्धारण करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति का भुगतान पारेषण लाइन की निर्माण गतिविधियों के साथ समानांतरण रूप से किया जाता है। परियोजना के लिए पुनर्स्थापना संबंधी अनुमान में फसलों, वृक्षों की क्षति और सीपीटीडी के कार्यान्वयन के लिए सहायता लागत और निगरानी, अन्य प्रशासनिक लागत आदि के

[5] सुभेद्य प्रभावित लोगों में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा अधिप्रमाणित अनुसूचित जनजातियां / अनुसूचित जातियां / ऐसे परिवार, जिनके मुखिया महिलाएं / दिव्यांग (अन्यथा सक्षम व्यक्ति) हैं / दिव्यांग परिवार आदि शामिल हैं।

लिए पात्र क्षतिपूर्ति शामिल होती है। यह एक संभावित बजट होता है। जिसे कार्यान्वयन के मूल चरण के दौरान परिवर्तित किया जा सकता है। कुल सांकेतिक लागत का अनुमान आईएनआर 541.45 मिलियन अर्थात 8.46 मिलियन यूएस डालर के समतुल्य लगाया गया है।

x) परियोजना के लिए पावर ग्रिड क्रियान्वयन एजेंसी (ई ए) के रूप में कार्य करेगा। परियोजना का कार्यान्वयन और निगरानी महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं, जिनका अनुपालन क्रियान्वयन चार्ट / अनुपालन सूची के अनुसार किया जाएगा। सभी चरणों पर पावर ग्रिड की परियोजनाओं के लिए निगरानी एक सतत प्रक्रिया है, चाहे वह स्थल का चयन, निर्माण अथवा रखरखाव कोई भी चरण क्यों न हो। पावर ग्रिड की सफलता इसकी मजबूत निगरानी प्रणालियों पर आधारित है। दैनिक आधार पर साइट प्रबंधकों द्वारा प्रगति की समीक्षा के अलावा कम से कम मासिक आधार पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है, जिनमें परियोजना से जुड़े निर्माण संबंधी मुद्दों के अलावा पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर भी चर्चा की जाती है और आवश्यक होने पर उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। इन बैठकों के कार्यवृत्त और अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट कारपोरेशन के निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न जारी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में भी निदेशक मंडल को सूचित किया जाता है। पावर ग्रिड में निगमित केंद्र स्तर पर एक अलग पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन विभाग तथा क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रकोष्ठ (ई एस एम सी) है, जो पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की निगरानी करते हैं। साइट स्तर पर सीपीटीडी के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ईएसएमटी उत्तरदायी होगा।

xi) परियोजना की पूरी अवधि के दौरान वैकल्पिक आधार पर सार्वजनिक परामर्श और आंतरिक निगरानी जारी रहेगी। निगरानी का उत्तरदायित्व पावर ग्रिड का होगा। पावर ग्रिड अपने सुरक्षोपायों के क्रियान्वयन और निष्पादन पर अपनी अर्धवार्षिक निगरानी रिपोर्टों का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करेगा और एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) की वेबसाइट पर उसका प्रकटन करने के लिए इन रिपोर्टों को एडीबी को भी भेजेगा। पावर ग्रिड आवश्यक होने पर किसी स्वतंत्र एजेंसी / वाह्य निगरानी एजेंसी की सेवाएं लेगा।